

**कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)**

/विज्ञापन/

क्रमांक 783/दो-11-01/2007

रायपुर, दिनांक 24.12.2021

आवेदन पत्र प्रस्तुत  
करने की अंतिम तिथि 31.01.2022 संध्या 5.00 बजे तक

परिवार न्यायालय, रायपुर की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिन्दी, सहायक ग्रेड-03, वाहन चालक एवं आदेशिका वाहक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य वर्ग			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपू.सै.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>तृतीय श्रेणी पद</b>																		
1.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	05	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
2.	सहायक ग्रेड-03	10	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-
<b>चतुर्थ श्रेणी पद</b>																		
1.	वाहन चालक	06	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-
2.	आदेशिका वाहक	02	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	<b>कुल योग</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

संकेतक :- मु. मुक्त, म.-महिला, वि.- विकलांग, भूपू.सै. -भूतपूर्व सैनिक

महत्वपूर्ण टीप :- 1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है ।

2. महिलाओं को नियमानुसार होरिजान्टल आरक्षण दिया जावेगा । किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पर रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जावेगें वरण उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे ।

**भर्ती की पात्रता एवं शर्तें**

(1) शीघ्रलेखक (हिन्दी) पद के लिए—

**अ—वेतनमान—**

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-7) (28700-91300)

**ब—शैक्षणिक योग्यता—**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखक तथा मुद्रलेखक बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखना हो ।
3. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखक तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखता हो ।
4. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) या समकक्ष के साथ एम0एस0वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

(2) सहायक ग्रेड-03( टाईपिस्ट, आदेशिका लेखक)

**अ—वेतनमान—**

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-4) (19500-62000)

**ब—शैक्षणिक योग्यता—**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखता हो ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) या समकक्ष के साथ एम0एस0वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

टीप:- 1. हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें ।

(3) चतुर्थ श्रेणी (वाहन चालक) पद के लिए-

अ-वेतनमान-

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-4) (19500-62000)

ब-शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवी) प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।

2. हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेंस) हो ।

(4) चतुर्थ श्रेणी (आदेशिका वाहक) पद के लिए-

अ-वेतनमान-

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-4) (18000-569000)

ब-शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवी) प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।

2. सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें ।

### आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

(1) आयु सीमा -

छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी पात्र होंगे, जिन्होंने 01 जनवरी-2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी । छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र मान्य होंगे । जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(2) अन्य शर्तें -

- (1) रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)
- (2) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.07.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28.07.2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80%, 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा, किन्तु परीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे ।
- (3) चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।
- (4) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (5) आवेदन करने की तिथी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है ।
- (7) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (8) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
- (9) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।
- (10) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (11) यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते हैं, तो ऐसे पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी । जिसकी नियुक्ति हेतु चयन विधि से यथा समय अवगत कराया जायेगा ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2022 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर- हिन्दी, सहायक ग्रेड-03/वाहन चालक/आदेशिका वाहक के पदों पर नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र लिखा हो । कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे । पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा । दिनांक 31.01.2022 की संध्या 5.00 बजे उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा ।

(2) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के शासकीय वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के पारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है ।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करें ।

(4) आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

(5) ई-मेल, फ़ैक्स, कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

(6) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा ।

(7) आवेदन को चाहिए की वह विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे । यदि आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

### नियुक्ति हेतु चयन विधि

#### (1) शीघ्रलेखक (हिन्दी)

##### (अ) कौशल परीक्षा-

उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 2.50 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा । डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा । जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा । कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा ।

#### (1) सहायक ग्रेड-03

##### (अ) कौशल परीक्षा-

उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा । प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा । जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा । कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा ।

वाहन चालक के पद हेतु - इस पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण लिया जावेगा ।

वाहन परिचालन में प्रयोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु पूर्णांक 50 अंक रहेंगे ।

नोट - अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रयोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाकर उचित प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी, जो मान्य होगी ।

**आदेशिका वाहक के पद हेतु** - आदेशिका वाहक के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसकी सूचना जिला न्यायालय, रायपुर के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> पर पृथक से अपलोड की जावेगी ।

अभ्यर्थियों की संख्या चयन प्रक्रिया में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 8वीं/5 वीं के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार दस गुना के सीमा के अधीन आवेदकों की छंटनी की जा सकेगी ।

#### **:-चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :-**

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी । जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी । प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी । समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।

#### **:-महत्वपूर्व निर्देश:-**

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि/2014/1-7, दिनांक 23.07.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगी ।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।
4. चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
5. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।
6. उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन किया जावेगा ।

7. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी ।
8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी ।
9. आवेदक जिला न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा । पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा । प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा । साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा ।
10. कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा । अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी ।
11. प्राप्त आवेदन पत्रों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> तथा सूचना पटल पर तक प्रकाशित किया जायेगा । उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे । अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी ।
12. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा ।

**महत्वपूर्ण टीप :-**

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं । आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें । परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी । नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

रायपुर  
दिनांक 24.12.2021

सही /—  
अध्यक्ष  
चयन समिति  
कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक एवं आदेशिका वाहक के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय,  
रायपुर (छ0ग0)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित  
नवीनतम पासपोर्ट साईज  
रंगीन फोटोग्राफ नाम एवं  
दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम : .....
2. आवेदक का पूरा नाम(हिन्दी में) : .....
- (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : .....
3. लिंग- पुरुष संकेतक-1, महिला संकेतक-2
4. पिता/पति का नाम : .....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : .....
- (हिन्दी में) : .....
- (ब) स्थाई पता : .....
6. (अ) जन्म तिथि(अंकों में) 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(शब्दों में) : .....
7. आवेदक का मोबाईल नम्बर : .....
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ / नहीं   
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/  
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ / नहीं   
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)



(2)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें ।
11. क्या आवेदक विकलांग है ? हाँ / नहीं  
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत : .....
13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हाँ/नहीं  
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक  दिनांक
15. रोजगार कार्यालय का नाम : .....
16. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/नहीं
17. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि
18. जीवित बच्चों की संख्या

क्र.	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2	3	4

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हाँ / नहीं  
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

//3//

21. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-  
टीप - प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें ।  
प्रमाण पत्र का नाम

संलग्न है / संलग्न नहीं

1. कक्षा 08 वी का प्रमाण पत्र : .....
2. हाई स्कूल प्रमाण पत्र : .....
3. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र : .....
4. स्नातक प्रमाण पत्र : .....
5. स्नात्कोत्तर प्रमाण पत्र : .....
6. हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र : .....
7. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र : .....
8. छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र : .....
9. छ0ग0 का स्थायी जाति प्रमाण पत्र : .....
10. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र : .....
11. अन्य - : .....

#### घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता है कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर-

नाम एवं पूरा पता-

मोबाईल नं.

ई-मेल

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरें)

**कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)**

:—प्रवेश पत्र:—

स्टेनोग्राफर हिन्दी/सहायक ग्रेड-03/वाहन चालक/ के पद हेतु

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित  
नवीनतम पासपोर्ट साईज  
रंगीन फोटो, नाम एवं  
दिनांक सहित

आवेदक का पंजीयन क्रमांक	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	

आवेदित पद का नाम :- \_\_\_\_\_

अभ्यर्थी का नाम :- \_\_\_\_\_

पिता/पति का नाम :- \_\_\_\_\_

वर्ग—(अना./अजा./अ.ज.जा/अ.पि.व) :- \_\_\_\_\_

परीक्षा तिथि :- \_\_\_\_\_

समय :- \_\_\_\_\_

परीक्षा केन्द्र :- \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

**कार्यालयीन उपयोग हेतु ।**

वास्ते/प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब  
रायपर (छ.ग.)

**परीक्षार्थी के लिये अनुदेश:—**

- 1/ परीक्षार्थी की परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है । विलंबसे उपस्थित होने पर वपरीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।
- 2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है । परीक्षा के केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें । परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे ।

पृथक से प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जावेगा । आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> से प्राप्त करें ।

- 3/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है । एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावे ।
- 4/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्ष के समक्ष ही करें ।